STAY ORDER

पत्रक

**{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}**

**न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ**

**पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़**

| | | |
|---|---|---|
| **माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी विराजमान वाके ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू जरिये पुजारी सांवरमल पुत्र गणपत जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।** | **–बनाम–** | **ईश्वर सिंह पुत्र सलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू वगैरह।** |
| **किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा** | | **मु.नं. 07 / 2022**<br>**GCMS No** |

| आदेश | कार्यवाही विवरण | पालना के क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 03.02.2022 | आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री अशोक कुमार जागिड़** द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौथली को न तो विक्रय करे न वेस्ट व डेमेज करे न छोटे–छोटे प्लाट काटकर व कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करे तथा न ही वादग्रस्त भूमि में बने पुख्ता निर्मित कुआ व उसमें पम्पिग सेट को खुर्द–बुर्द करे वेस्ट व डेमेज न तो स्वयं करे अथवा न ऐसा कृत्य अपने अधीनस्थ नौकर–चाकर, प्रतिनिधि आदि से करावे, मोके की यथास्थिति बनाई रखे।<br>प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक वाके राजस्व ग्राम सौथली की सरहद की भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर भूमि के मोके की यथास्थिति बनाये रखेगे अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09.03.2022 को पेश हो।<br>**दमयंती कंवर (R.A.S.)**<br>**ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)**<br>**नवलगढ़** | |
| 9/3/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण की तामील दावे में होकर एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। इस प्रकरण में भी एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली [illegible] बहस प्रा. पत्र दिनांक [illegible]<br>ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ | |
| 6/5/22 | वकील आवेदक उपस्थित। बहस वकील [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अनावेदक द्वारा [illegible] की है तथा एक पक्षीय होने से न्यायालय आदेश [illegible] तादावा [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसला [illegible] दर्ज [illegible] से [illegible] हो तथा मूल दावे के साथ संलग्न हो।<br>ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested